न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 39 / 2022	2022 / 109	30.11.2022	28.05.2025

1. सुनीता पत्नी मोहनलाल उर्फ बल्ली जाति जाटव निवासी ग्राम टिटपुरी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार (भू0अ0) लक्ष्मणगढ़, हाल कठूमर, जिला अलवर, राजस्थान।

—असल रेस्पोडेण्ट

2. सन्टी पुत्र मोहनलाल उर्फ बल्ली,
3. संजय पुत्र मोहनलाल उर्फ बल्ली,
4. सम्मी पुत्र मोहनलाल उर्फ बल्ली,
5. भगवानसिंह पुत्र स्व0 ग्यारसा,
6. रामसहाय पुत्र स्व0 ग्यारसा,
7. अमरसिंह पुत्र स्व0 ग्यारसा,
8. समयसिंह पुत्र स्व0 ग्यारसा,
9. अशोक पुत्र स्व0 सोहनलाल,
   जाति समस्त जाटव निवासीयान ग्राम टिटपुरी तहसील लक्ष्मणगढ़ हाल कठूमर जिला अलवर राज0।

—तरतीवी रेस्पो0

अपील विरुद्ध नामा0 सं0 628 निर्णय दिनांक 15.06.1990 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़, हाल कठूमर, जिला अलवर राज0।

उपस्थितः—

01—श्री मूलचन्द चौधरी —वकील अपी0

02—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पो0 1

—:निर्णयः—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ हाल कठूमर द्वारा निर्णय दिनांक 15.06.1990 नामान्तकरण संख्या 628 स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार लक्ष्मनगढ, हाल कठूमर द्वारा राजस्व कैम्प बडौदाकान में हरभजनी का विरासत इंतकाल संख्या 628 दिनांक 15—06—1990 को उसके वारिसान ग्यारसा, बल्ली, सोहनलाल पुत्रान हरभजनी के नाम स्वीकार किया गया है। जिसमें मिन अपीलान्ट के पति व तरतीवी रेस्पाडेन्ट संख्या 2 ला.4 के पिता व तरतीवी रेस्पाडेन्ट संख्या 5 व 6 के भाई के बोलते नाम बल्ली के नाम से स्वीकार किया गया है, जबकि उसका सही व वास्तविक एवं रिकार्डेड नाम मोहनलाल है। उक्त इंतकाल मिन अपीलान्ट व मोहनलाल के पीछे से स्वीकार किया गया है। जिसकी जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनांक 16—11—2022 को हुई जबकि मिन अपीलान्टा ने अपने पति बल्ली उर्फ मोहनलाल का स्वर्गवास के पश्चात उसकी विरासत इंतकाल हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो उसने बताया कि बिना नाम की दुरूस्ती कराये तुम्हारे नाम इंतकाल स्वीकार नही किया जावेगा। जिस पर मिन अपीलान्टा ने दिनांक 17—11—2022 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल उसी दिन सायकाल प्राप्त हुई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)

जिसके पश्चात मिन अपीलान्टा ने वकील साहब से सलाह मश्वरा किया तो उन्होने न्यायालय श्रीमान के समक्ष अपील दायर करने की सलाह दी जिससे यह अपील अविलम्ब पेश की जा रही है, उक्त इंतकाल त्रुटि पूर्ण स्वीकृत किया गया है, त्रुटि पूर्ण इंतकाल की अपील के लिए कोई मियाद नही होती है फिर भी रफाए हुज्जत उक्त अवधि को कण्डोन कराने हेतु अलग से प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत पेश किया जा रहा है।

अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मनगढ़ द्वारा उपरोक्त इंतकाल सख्या 628 दिनांक 15–06–1990 को राजस्व कैम्प बडौदाकान में मृतक हरभजनी पुत्र घासी का स्वीकार किया गया है। हरभजनी के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है:–

हरभजनी

- ग्यारसा
  - भगवानसिंह
  - रामसहाय
- बल्ली उर्फ मोहनलाल
  - सुनीता
  - सन्टी
  - संजय
  - सम्मी
- सोहनलाल
  - अमरसिंह
  - समयसिंह
  - अशोक

उक्त इंतकाल हरभजनी का स्वीकार किया गया है जो तरतीवी रेस्पाडेन्ट संख्या 5 व 6 के पिता ग्यारसा, अपालान्ट के पति बल्ली व तरतीवी रेस्पाडेन्ट संख्या 7, 8 व 9 के पिता सोहनलाल के नाम स्वीकार किया गया है। उक्त बल्ली जो कि मिन अपीलान्टा के पति व तरतीवी रेस्पाडेन्ट संख्या 2 ला. 4 के पिता था उसका सही व वास्तविक नाम मोहनलाल है तथा बल्ली उसका बोलता घरेलू नाम था तथा जबकि परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र आदि में बल्ली का नाम मोहनलाल दर्ज है। इसी प्रकार मिन अपीलान्टा के परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड सभी में बल्ली का नाम बतोर पति मोहनलाल दर्ज रिकार्ड है।

ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच ग्राम पंचायत टिटपुरी तथा वार्ड संख्या 5 के पंच रघुवर जाटव, अमरसिंह द्वारा भी प्रमाण पत्र जारी कर प्रमाणित किया गया है कि बल्ली का नाम ही मोहनलाल है। इस प्रकार मिन अपीलान्ट के पति को बल्ली व मोहनलाल दोनो नामो से जाना व पहचाना जाता है तथा दोनो एक व्यक्ति के नाम है। उक्त इंतकाल स्वीकार करने से पूर्व मिन अपीलान्ट को कोई जानकारी नही थी चूँकि इंतकाल स्वीकार करते वक्त मिन अपीलान्ट व उसके पति मोहनलाल कैम्प पंचायत में उपस्थित नहीं थे। उक्त इंतकाल मिन अपीलान्ट के पति के पीछे से स्वीकृत किया गया है। जिसके आधार पर समस्त राजस्व रिकार्ड में भी बल्ली नाम अंकित किया गया है। मोहनलाल का स्वर्गवास दिनांक 22–07–2013 को हो चुका हैं। मिन अपीलान्टा व तरतीवी रेस्पाडेन्ट संख्या 2 ला. 4 मृतक मोहनलाल के कानूनी जायज वारिसान है। जिनके नाम मोहनलाल का विरासत इंतकाल दर्ज नही हो पा रहा है। जिससे मिन अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पाडेन्टान सं. 2 ला. 4 के हक हकूक जायल होने अंदेशा है। इसलिए उपरोक्त इंतकाल में मिन अपीलान्टा के पिता व तरतीवी रेस्पाडेन्ट संख्या 2 ला. 4 के पिता का नाम बल्ली उर्फ मोहनलाल दर्ज कर इंतकाल संशोधन किया जाना आवश्यक है कि जिसके लिए यह अपील पेश की जा रही है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार तहसीलदार लक्ष्मनगढ, हाल कठूमर की आज्ञा दिनांक 15.06.1990 बाबत इंतकाल संख्या 628 वाके ग्राम टिटपुरी तहसील लक्ष्मनगढ़ जिला अलवर से जानकारी की दिनांक 16–11–2022 संशोधित कर उक्त इंतकाल में अपीलान्टा के पति का नाम बल्ली उर्फ मोहनलाल दुरूस्त कराया जाने की आज्ञा प्रदान की जावे। आपकी अति कृपा होगी।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए जाहिर किया है कि तहत अदालत के द्वारा नामान्तकरण संख्या 628 वाके तहसील कठूमर व

जिला अलवर में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय में अपीलाण्ट का नाम वास्तविक नाम के स्थान पर बोलता हुआ नाम सहवन दर्ज हुआ है, जिसे शुद्ध किया जाना न्यायोचित है।

सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.06.1990 के विरूद्व दिनांक 28.11.2022 को पेश की गयी है जो करीब 32 साल 05 माह 13 दिन के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया व वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ हाल कठूमर द्वारा दर्ज व स्वीकार नामान्तकरण संख्या 628 दिनांक 15.06.1990 एवं पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि बल्ली जो कि अपीलान्टा के पति व तरतीवी रेस्पाडेन्ट संख्या 2 ला. 4 के पिता था, उसका सही व वास्तविक नाम मोहनलाल है तथा बल्ली उसका बोलता घरेलू नाम था तथा परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र आदि में बल्ली का नाम मोहनलाल दर्ज है। पत्रावली में संलग्न अपीलान्टा के परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड के अनुसार बल्ली का नाम बतौर पति मोहनलाल दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली में संलग्न सरपंच ग्राम पंचायत टिटपुरी द्वारा प्रमाण पत्र जारी कर प्रमाणित किया गया है कि बल्ली ही मोहनलाल है, अपीलान्ट के पति को बल्ली व मोहनलाल दोनों नामों से जाना व पहचाना जाता है तथा दोनों एक व्यक्ति के नाम है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल तस्दीक करते समय अपीलांटा के पति/पिता के वास्तविक नाम मोहन लाल पुत्र हरभजन की सही जांच किये बिना नामान्तकरण तस्दीक किया गया है, जो एक विधिक त्रूटि है। उपरोक्त इंतकाल में अपीलान्टा के पति व तरतीवी रेस्पाडेन्ट संख्या 2 ला. 4 के पिता का नाम बल्ली उर्फ मोहनलाल दर्ज कर इंतकाल संशोधन किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील अपी0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ हाल कठूमर का आदेश इन्तकाल सं0 628 दिनांक 15.06.1990 को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कठूमर को आदेशित किया जाता है कि अपीलान्टा के पति व तरतीवी रेस्पाडेन्ट संख्या 2 ला. 4 के पिता का नाम बोलता हुए नाम बल्ली उर्फ मोहनलाल के स्थान पर वास्तविक नाम मोहनलाल दर्ज कर नियमानुसार वारिसान की जांच कर इंतकाल दर्ज करने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)